न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 215—पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 27—11—12 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 42/2011—12/स्वमेव निगरानी.

1— हरीबाबू शिवहरे पुत्र मनीराम शिवहरे
निवासी जवाहर गंज डबरा

2— लक्ष्मीनारायण शिवहरे पुत्र ग्यासीराम शिवहरे
निवासी बी—17, अशोक बिहार, ग्वालियर

3— रामस्वरूप पुत्र हरगोविंद शिवहरे
निवासी 47 दुर्गापुरी ग्वालियर

4— संजय शिवहरे पुत्र रमेशचंद शिवहरे
निवासी चिकसंतर, मुरार ग्वालियर ....आवेदकगण

विरूद्ध

1— म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर

2— कल्लू बघेले पुत्र नंदराम बघेले
निवासी ग्राम नौगांव
तहसील व जिला ग्वालियर ....अनावेदकगण

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, श्री संजय जैन, अभिभाषक एवं
श्री पी0एन0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/5/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—11—12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, ग्वालियर द्वारा प्रतिवेदन कमांक क्यू/रीडर—4 बी/2012 दिनांक 26—7—2012 के साथ प्रकरण कमांक 32/93—94/अ—19 उन्मान विजय लाल निवासी नौगांव तहसील ग्वालियर संलग्न कर

कलेक्टर, ग्वालियर को प्रेषित किया गया । कलेक्टर द्वारा उक्त प्रतिवेदन के अवलोकन पश्चात यह पाते हुए कि नंदराम द्वारा पट्टे की भूमि सर्वे कमांक 78/1 मिन रकबा 0.314 हेक्टेयर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विकय किए जाने से संहिता की धारा 165 (7—ख) का उल्लंघन हुआ है । प्रकरण कमांक 32/93—94/अ—19 दिनांक 11—3—94 को संहिता की धारा 50 के अंतर्गत प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर अनावेदक कमांक 2 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । अनावेदक कमांक 2 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किए जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 27—11—12 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 32/93—94/अ—19 दिनांक 11—3—94 से अनावेदक कमांक 2 के पक्ष में शासकीय भूमि सर्वे कमांक 78/1 मिन रकबा 0.314 हेक्टेयर का प्रदाय किया गया पट्टा निरस्त किया गया एवं भूमि को पूर्ववत शासकीय घोषित किया जाकर म0प्र0 शासन दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण द्वारा कय की गई थी, परन्तु कलेक्टर द्वारा उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है, वास्तव में केता ही प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार थे । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा केवल विकेताओं को पक्षकार बनाकर पट्टा निरस्त करने में पूर्णतः अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच नहीं कराई गई है, और वर्ष 1994 में जारी पट्टे को 18 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की गई है, क्योंकि इतनी लम्बी अवधि में पट्टेधारियों को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये थे । तर्क में यह भी कहा गया कि हरीबाबू की मृत्यु हो चुकी है, और उसकी मृत्यु उपरांत पट्टा निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि 10 वर्ष पश्चात पट्टेधारी को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो जाते हैं, और उन्हें भूमि विकय करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 165 (7—ख) को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है, इसलिए भी उक्त धारा के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पट्टा निरस्त करने में विधिक त्रुटि की गई है । यह भी तर्क

प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1994 में दिये गये पट्टे को स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही में निरस्त नहीं किया जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही युक्तियुक्त समय में की जानी चाहिए, और इसके अंतर्गत 180 दिवस की अवधि निर्धारित है, परन्तु कलेक्टर द्वारा लगभग 18 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही करने में अवैधानिकता की गई है । तर्कों के समर्थन में 2005 आर0एन0 66, 2013 आर0एन0 8 एवं 1996 आर0एन0 137 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि पट्टेधारियों द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के पट्टे की भूमि विकय करने से संहिता की धारा 165 (7–ख) का उल्लंघन हुआ है, अतः कलेक्टर द्वारा पट्टा निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि पट्टेधारियों द्वारा भूमि विकय कर दिये जाने से प्रकरण में उनका कोई हित नहीं बचा है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा पट्टा निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनके आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 32/93–94/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 11–3–94 को लगभग 18 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया गया है । इस संबंध में 2012 आर.एन. 363 शारदा बिहार विकास समिति विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> "धारा 50–स्वप्रेरणा पुनरीक्षण–के लिए परिसीमा–जानकारी के दिनांक से 180 दिवस है–जानकारी के दिनांक से 19 वर्ष पश्चात ऐसी शक्ति का प्रयोग–प्राधिकारी को मामला स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में लेने की शक्ति नहीं है–कार्यवाहियां अकृत तथा शून्य हैं ।"

इसी प्रकार 2010 आर.एन. 409 रणवीर सिंह तथा एक अन्य विरूद्ध म0प्र0 राज्य में माननीय उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

"धारा 50–म0प्र0 कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960–धारा 42 पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग–आदेश की अवैधता या अनौचित्यता तथा कार्यवाहियां की अनियमितता की जानकारी के दिनांक से समुचित कालावधि के भीतर होना चाहिए–180 दिवस के भीतर प्रयुक्त की जाना चाहिए ।"

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही एवं पारित आदेश अत्यधिक विलम्बित होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । इसके अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर पट्टा निरस्त किया गया है । इस संबंध में 1992 आर.एन. 163 म0प्र0 राज्य विरूद्ध शोभाराम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

"धारा 50, 181 तथा 182 (2)–स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियों की व्याप्ति–शासकीय पट्टाधारी–केवल धारा 181 (2) के अधीन बेदखल किया जा सकता है–पट्टा अपास्त करने हेतु धारा 50 के अधीन स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियां प्रयुक्त नहीं की जा सकती है ।"

इस प्रकार उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में भी कलेक्टर द्वारा पट्टा निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । जहां तक गुण–दोष का प्रश्न है कलेक्टर द्वारा इस आधार पर पट्टा निरस्त किया गया है कि पट्टाधारी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भूमि का विक्रय किये जाने से संहिता की धारा 165(7–ख) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा नन्दराम को दिनांक 3–6–1996 को भूमिस्वामी अधिकारों में प्रदान किया गया है । इस संबंध में 2013 आरएन 8 आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

" धारा 165(7–ख)–की व्याप्ति–पट्टेदार को पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये– कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना भूमि का अंतरण – धारा 165(7–ख) के अधीन पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता ।"

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में पट्टाधारी को भूमि विकय करने के लिये सक्षम अधिकारी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसके द्वारा भूमि विकय करने में पटटे की शर्तो का कोई उल्लघंन किया गया है, क्योंकि उसे भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये थे । इस प्रकार कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–11–12 निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति कायम की जाती है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर